माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.12.07

राजस्थान सरकार, शिक्षा (विधि–प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांकः प.17(18) शिक्षा–2/वि.प्र./08 जयपुर, दिनांक:7.2.08

विषयः– सिविल अपील सं. 5659/07 इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया बनाम सेन्ट मेरीज स्कूल व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.12.07.

संदर्भः– सहायक रजिस्ट्रार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र पत्रांक 5026/04/S.C/xiv दिनांक 16.01.08 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार माननीस सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के सन्दर्भित अर्द्ध शासकीय पत्र तथा प्रकरण में माननीया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णश दिनांक 6.12.07 की प्रति तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिये हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यो में अध्यापकों की ड्यूटी अध्यापन दिवस तथा घण्टों में सामान्यतः नहीं लगायी जा सकती है।

अतः अध्यापकों को अशैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी में लगाये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

ह.
शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,
जयपुर

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11(7) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 12.09.2008 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2008 दिनांक 1.9.2006 से प्रभावित किये हैं।

उक्त आदेशों के अन्तर्गत विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों/अध्यापकों के स्थिरीकरण हेतु विभाग के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के उक्त आदेशों की अनुपालना में वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु इस विभाग के सहायक लेखाधिकारी व अधीनस्थ कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी को निम्नानुसार वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन करने हेतु अधिकृत किया जाता है–

1. **श्री सुनील यादव,** सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय के एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के राजपत्रित, अराजपत्रित कार्मिकों के स्थिरी अनुमोदन करेंगे।
2. **श्री विजय शंकर गहलोत,** सहायक लेखाधिकारी निदेशालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारी/के स्थिरी प्रकरण अनुमोदन। नोट–स्थिरीकरण शाखा द्वारा जांचोपरान्त प्रस्तुत प्रकरणों का अनुमोदन करेंगे।
3. **समस्त सहायक लेखाधिकारी,** उपनिदेशक (माध्यमिक),मंडल मुख्यालय पर (माध्यमिक) राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरी एवं अपने अधीनस्थ जिस जिले में सहायक लेखाधिकारी पद रिक्त है उन जिलों के वेतन स्थिरी अनुमोदन करेंगे।
4. **समस्त सहायक लेखाधिकारी जिशिअ (माध्यमिक),** अपने कार्यालय एवं जिले के अधीनस्थ विद्यालय/कार्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थिरी अनुमोदन करेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम–2008 में वेतन स्थिरी का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ करके वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र निपटाकर सूचना निर्धारण प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवावें। वेतन निर्धारण करने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों की शक्ति से पालना की जावे।

1. वेतन निर्धारण अनुमोदन करने से पूर्व यह देख लें कि संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी ने संशोधित वेतनमान–2008 में वेतन लेने का विकल्प दिया है एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है।
2. नवीन वेतनमान में वेतन स्थिरी प्रपत्र अनुमोदन करने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के वेतनमान –1998 एवं छठा संशोधन मे निर्धारित वेतन/चयनित वेतनमान /वेतनवद्धियां भी अच्छी तरह जांच ले साथ ही जन्मतिथि, सेवा प्रमाणीकरण एवं अवकाश लेखों की भी जांच कर लें।

3. वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्यालायध्यक्ष वेतन निर्धारण प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार करेंगे। सहायक लेखाधिकारी उनको अनुमोदित कर एक प्रति रिकॉर्ड हेतु रखेंगे तथा दो प्रति कार्यालयाध्यक्ष को लौटा देंगे।
4. इस आदेश के नियम 26 के अनुसार दिनांक 1.9.06 से 31.12.08 तक का ऐरियर भुगतान देय नहीं है।यह प्रमाण पत्र वेतन स्थिरी प्रपत्र में अवश्य अंकित करेंगे।
5. वेतन निर्धारण करने से पूर्व सेक्शन ए में दिये गये नवीन वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए वेतन निर्धारण करें।
6. समस्त जि.शि.अ. अपने जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के संस्था प्रधानों को वेतन स्थिरीकरण प्रपत्र शीध्र तैयार करने हेतु पाबंद करें।
7. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होता है। इसे दिये नियम की स्वीकृति के बिना बदला नहीं जावे। अतः कर्मचारियों द्वारा भरा गया विकल्प उनकी सेवा–पुस्तिका में चिपका दिया जावे तथा एक रजिस्टर कार्यालय स्तर पर तैयार किया जाकर उसमें विकल्प प्राप्ति इन्द्राज मय दिनांक के किया जावे।
8. समस्त जि.शि.अ. प्रतिमाह 5 तारीख तक बकाया स्थिरी प्रकरणों की सूचना तैयार कर आवश्यक रूप से निदेशालय बीकानेर को प्रस्तुत करेंगे।

प्रपत्र

बकाया स्थिरी प्रकरणों की मासिक संकलित सूचना

क्र.सं.	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या			कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या			शेष प्रकरण		
	राज.	अराज.	योग	राज.	अराज.	योग	राज.	अराज.	योग

नोटः– बकाया प्रकरणों का कर्मचारी का नाम पद सहित कारण विवरण दें। जि.शि.अ. द्धारा निदेशालय को भेजी जाने वाली बकाया स्थिरी प्रकरणों की सूचना (राजपत्रित तथा अराजपत्रित कार्मिकों की सूचना अलग–अलग दर्शायी जावे)

1. गत माह तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या
2. गत माह में निपटाये गये प्रकरणों की संख्या
3. शेष प्रकरणों की संख्या
4. चालू माह में प्राप्त प्रकरणों की संख्या
5. कुल प्रकरणों की संख्या
6. चालू माह में निपटाये प्रकरणों की संख्या
7. शेष प्रकरणोी की संख्या

ह0
मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेंर

क्रमांकः शिविरा/मा/स्थिरी–अ/34851/08/स्पे   दिनांक 18.9.2008